

कार्यालय जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी, नगर सेना, बिलासपुर (छ.ग.)

अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र

क्रमांक/9107/फायर सर्विस/एन.ओ.सी./2022

बिलासपुर, दिनांक-24.11.2022


प्रमाणित किया जाता है कि प्राचार्य सिस्टर क्लेरिटा डीमेलो का हॉली क्रॉस सीनियर सेकेण्डरी स्कूल चौकसे इंजीनियर कॉलेज के सामने लालखदान बिलासपुर (छ.ग.) में स्थित स्कूल का इस विभाग के कनिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी माइकल सेन्टियागो, के द्वारा प्राचार्य सिस्टर क्लेरिटा डीमेलो की उपस्थिति में दिनांक 24.11.2022 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV के अंतर्गत दर्शाये गये अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की आवश्यकता संबंधित निरीक्षण किया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन 01 (एक वर्ष) की अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

—: शर्तें :-

01. सभी अग्नि सुरक्षा यंत्र/प्रणाली एवं निकास द्वारा व्यवधान रहित चालू हालत में रखा जावे। इसमें किसी प्रकार के चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
02. अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है। तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
03. अग्निशमन प्रणाली उपकरणों को संचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जावे एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का मॉक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बनाकर रखा जावे।
04. बेसमेंट का उपयोग करने में बिलडिंग बॉय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
05. मकान मालिक/कब्जाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम व सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
06. यह प्रमाण पत्र जारी दिनांक से अगामी एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगा।

जारी दिनांक — 24.11.2022




24/11/2022
डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट
एवं अग्निशमन अधिकारी
नगर सेना, बिलासपुर (छ.ग.)